

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद, जिला बारां

क्रमांक :- 1542

दिनांक :- 06/12/2025-

श्रीमान उपवन संरक्षक  
बारां

विषय :- जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/6954/2014 ) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अन्तिम स्वीकृति हेतु।

सन्दर्भ :- शासन सचिव वन राजस्थान सरकार के पत्रांक प.व. (22) वन/2015 दिनांक 27.01.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर के पत्र दिनांक 17.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्यका निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक 22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

संलग्न

1. बिन्दुवार शर्तो एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 18.08.23 की प्रति।



(बसन्त कुमार गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

86

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुखसं/ 7328

दिनांक 28-08-2023

## बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.08.2023 को 11:30 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में जिला बारां के शाहबाद क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में प्रगति के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री दीपक कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, बारां।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफ0सी0ए0 कार्या0हाजा
4. श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।
6. श्रीमती प्रियंका मीणा, अधिशाषी अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।
7. श्रीमती सांतवाना सिंह, सहायक अभियंता, PWD, वन विभाग सेल।

सर्वप्रथम उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 ने अवगत कराया गया कि बारां जिले के शाहबाद खण्ड से वन भूमि प्रत्यावर्तन के परिवेश - 1 पर कुल 32 प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। जिनमें 12 प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति, 11 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं 9 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। विधिवत स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होने एवं अन्य प्रकरणों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गये:-

### 1. प्रक्रियाधीन 9 प्रकरणों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/9251/2015	Construction of Road from Kedarkui to Muhal	Road	4.3	10.01.2015	Pending at DFO/DCF
2	FP/RJ/ROAD/40677/2020	construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road(MDR-47) 0/475to 19/0	Road	3.893	19.09.2020	Pending at DFO/DCF
3	FP/RJ/ROAD/150784/2022	Paraniya to Chattarganj road	Road	3.73	21.09.2022	Pending at DFO/DCF
4	FP/RJ/ROAD/6958/2014	Road Work From Bichi to Rampur Upreti	Road	2.68	8.09.2014	Pending at DFO/DCF
5	FP/RJ/ROAD/34310/2018	Construction and widening of ramgarh mata ji parikrma road	Road	9.06	18.09.2019	Pending at DFO/DCF
6	FP/RJ/ROAD/34657/2018	Construction of road chorakhari to nayagoun via maheshpur	Road	1.872	30.08.2019	Pending at Nodal officer
7	FP/RJ/ROAD/30083/2017	Construction of shahbad to rajpur road	Road	4.0	29.12.2017	Pending at Nodal officer
8	FP/RJ/ROAD/34416/2018	construction of road from ganjan to sunwas	Road	3.425	30.08.2019	Pending at Nodal officer
9	FP/RJ/ROAD/34417/2018	Construction of road from Dikwani to gadar ishartori	Road	6.21	30.08.2019	Pending at Nodal officer

उपरोक्त के क्रम में उप वन संरक्षक बारां एवं उप वन संरक्षक एफ0सी0ए0 कार्या0 हाजा0 को निर्देशित किया गया कि प्राप्त प्रकरणों को एक सप्ताह में प्रोसेस कर आवश्यक कार्यवाही करें एवं यूजर ऐजेन्सी को निर्देशित किया गया कि पुराने प्रस्ताव जिनमें सडक निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं हो (उन प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं हुआ है) उन्हें विद्वान किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे।

2. वे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है:- 12 प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी हो चुकी है किन्तु पूर्ण पालना अभी भी बकाया है।

S.N	Proposal no	Name of Proposal	Category	forest land	applied on	Current status
1	FP/RJ/ROAD/6954/2014	Road work from Jalwara to Kishanpura	Road	2.96	08.09.2014	IP granted on 23.8.2016
2	FP/RJ/ROAD/6956/2014	Road work from Nehroopur to Jhiri	Road	3.2	19.09.2020	IP granted on 4.8.2016
3	FP/RJ/ROAD/6982/2014	Road work from Gordhanpura to Gatta	Road	2.22	7.09.2014	IP granted on 5.2.2016
4	FP/RJ/ROAD/6988/2014	Road work from Ramgarh kalapatta to Karbala Laxmipura	Road	2	8.09.2014	IP granted on 1.10.2018
5	FP/RJ/ROAD/6994/2014	Road from Khandela to halawni	Road	2.05	8.09.2014	IP granted on 04.8.2016
6	FP/RJ/ROAD/6996/2014	Road from Bhanwargarh to Ranwasi	Road	2.5	8.09.2014	IP granted on 27.12.18
7	FP/RJ/ROAD/6997/2014	Road from Kasbathana to Bmangaon	Road	5.2	8.09.2014	IP granted on 23.08.16
8	FP/RJ/ROAD/6999/2014	Road from Dkonja to Talawara	Road	7.5	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
9	FP/RJ/ROAD/7000/2014	Road from Gordhanpura to Kalimati	Road	2.8	8.09.2014	IP granted on 4.08.16
10	FP/RJ/ROAD/7127/2014	Road from Mamlilaxmipura to Patpadi	Road	1.14	13.09.2014	IP granted on 19.01.21
11	FP/RJ/ROAD/8746/2014	Road from Rajpur Benta to Isatori	Road	2.97	18.12.2014	IP granted on 04.08.16

उक्त के संबंध में सर्व सहमति से निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

- क0सं0 7 पर अंकित प्रस्ताव में सडक निर्माण आवयस्क नही होने के कारण पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त किये जाने के प्रस्ताव में स्मरण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय को जारी किया जावे।
- क0सं0 2 एवं 8 में वर्तमान दरों पर उप वन संरक्षक द्वारा डिमांड नोट जारी किये जा चुके है जिन्हे नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यूजर ऐजेन्सी एक सप्ताह में राशि जमा करायी जाकर अनुपालना उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक शीघ्र पालना को अग्रेषित करेंगे।
- क0सं0 3 में उप वन संरक्षक बारां 2 दिवस में डिमांड नोट जारी करेंगे एवं यूजर ऐजेन्सी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण किये जाना सुनिश्चित करेंगी।
- अन्य प्रकरणों में जिनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980का उलंघन हो चुका है उनमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अतर्गत जारी निर्देशिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करेंगे एवं तदनुसार ही मांग पत्र जारी करेंगे उक्त कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।  
अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।  
बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 28-08-2023.

क्रमांक एफ 14(PWD)एफसीए/प्रमुवसं/ 7329-22  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
- उप वन संरक्षक, बारां।
- श्री एम.एम. सिंघल, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- श्री हरि प्रसाद मीना, अधिशाषी अभियंता, PWD, शाहाबाद।

( दिनेश कुमार गुप्ता )  
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)  
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद

क्र.सं. :- 380

दिनांक :- 04-06-2025

सेवा में,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- जनदप बारां में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या  
FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु निर्माण हेतु  
2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।  
संदर्भ :- शासन सचिव (वन), राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.1(22)वन/2015  
दिनांक 27.01.2025

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 04.08.2016 द्वारा भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त कार्य जन उपयोगी होने के कारण 19.08.2020 को सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 07.7.2023 को अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में Review of work pending due to forest clearance of PWD Baran Project के दौरान निर्णय में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि 22,83,348 रुपये जमा करने का निर्णय लिया गया था। कार्यालय उप वन संरक्षक बारां द्वारा उक्त के क्रम में दिनांक

22.01.2024 को जारी डिमाण्ड का भुगतान विभाग द्वारा 05.02.2024 को जमा करा दिया गया था तथा उक्त के क्रम में समस्त दस्तावेज विभाग द्वारा 4 प्रतियों में 12.09.2024 को उप वन संरक्षक कार्यालय को भिजवा दी गई थी। उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर उक्त प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति जारी करने के कृपा करें।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 692

दिनांक : 12/9/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6954/2014


प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ.

14( )2018 / बारां रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं. / 1490-91 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS Dated 29.07.2024 :-		
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्रांक 1568 दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अतः पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 677 दिनांक 10.09.2024 द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।
2	प्रस्ताव में दिनांक 23.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	वन विभाग द्वारा बार-बार आक्षेप लगाने एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य किया गया है। अतः Violation नहीं किया गया है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पुनः संलग्न है। (प्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नहीं है।	श्रीमान् के स्तर से किया जाना है।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नहीं है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 677

दिनांक : 10/3/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा रो किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये 3,82,284/- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/- रु. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- कैम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

<p>शर्त संख्या 4</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 982069/- एवं राशि रु. 1405868 कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 5</p>	<p>विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट जूंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. त्तिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 6</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 7</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।</p>	<p>शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।</p>
<p>शर्त संख्या</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा</p>	<p>शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर</p>

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिकाधी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 54

दिनांक : 18/11/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- जनदप बांरन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या  
FP/RAJ/ROAD/6954/2014) जलवाड़ा से किशनपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 है0 वन भूमि  
के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9322 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट पूर्व में भी एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1017 दिनांक 28.10.2020 द्वारा भिवायी गई थी जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,82,284/- (2.96 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है0 X 164100/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

<p>शर्त संख्या 4</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.52 लाख (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.() / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 / 536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/- एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 5</p>	<p>विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।</p>	<p>शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. ल्लिरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 6</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
<p>शर्त संख्या 7</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।</p>	<p>शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।</p>
<p>शर्त संख्या</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा</p>	<p>शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर</p>

8	दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिकाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां  
ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की  
अनुपालना में वन भूमि की वैद्यनिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां  
ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/520 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रु. 100344/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां  
ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना  
में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02. '2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.96 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 1405868/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 982069/- एवं राशि रू. 1405868 कुल राशि रू. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा। प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां  
ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि जलवाड़ा से किशनपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां  
ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

  
(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां


ईमेल :- pwd\_shahabad@rediffmail.com

---

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Jalwara to Kishanpura under RRSMP  
Proposal No. FP/RJ/Road/6954/2014 (2.96 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।



(हरि प्रसाद मीना)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

Land to be allotted to Forest Department

21/9/14  
15/9

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare )	Remark
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से भटगांव	6	18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मानोनी से मोहनपुर घोग	1.50 2.60	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिंगलोट से मदनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेडा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	भाघोपुरा से जंतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से तलावडा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरुपुरा से झिरी ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी ✓	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से मुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से चरारा ✓	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा ✓	4.00	
12	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVII (RSAMB)	करबाधाना से बगनगवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाडा से किशानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेडा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर मुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare.)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गाविया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	4.92	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	


(सुनिश्च माधुर)  
अधीक्षण अभियंता  
राजनिर्माण वृत्त बीरा

# LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST

KHASRA NO.: 39,41,42,114,115,116,138,149 (Village: BILANDI) KHASRA NO.:1173,1175 (Village: SONBOP) KHASRA NO.: 388 (Village: THAKA)  
Tehsil : ANTA, Distt. BARAN



KHASRA LIST		
Sl. No.	Area in Hect.	VILLAGE
39	13.28	BILANDI
41	2.28	
42	2.28	
114	2.28	
115	2.28	
116	2.28	
138	17.75	
149	11.14	
1173	2.28	
1175	2.28	
388	2.28	THAKA



## कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राइक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला कलेक्टर बाराँ द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आरॉपेट की गई है।

तहसील अन्ता गाम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि जादिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अधिकरण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.80
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 102 (नरेन्द्र शर्मा (घ.र.))

2 नाका प्रमारी केशीबीजा 00/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

5/3/17  
2/2/2017  
6-9-17

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

6/9/17

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

अशोक सनाइय  
अविभागी अभियन्ता  
नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला वन-कट्टर बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से विज्ञानानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम ताखा की विज्ञानारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वास्तविकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नरेंद्र शर्मा (क.र.))


2 नाका प्रभारी  06/09/17


3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
अन्ता वन विभाग

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  4201/19/17  
(19/17)

2 कानूनगो   
राजपुरा कानूनगो  
6-9-17

  
राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारां

  
(अशोक सिंघ) अतिरिक्त अधिकारी  
अतिरिक्त अतिरिक्त अधिकारी  
अतिरिक्त अतिरिक्त अधिकारी

**कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता**

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला वन्यजन्तु बार्ड द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग को बाग आवंटित की गई है।

सहरील अन्ता गांव सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापस करी हेतु उपयुक्त हे यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचारणीय नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि सूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा गौंके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	जमीन	गांव	सुरक्षा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक *राजीव कपूर*

2 बाग प्रवर्तक *अशोक सनाढ्य*

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी *अ.नि.वि. रुण्ड शाहाबाद*

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वन्यजन्तु बार्ड *राजीव कपूर*

2 वन्यजन्तु *अशोक सनाढ्य*

**राजीव कपूर**  
वन संरक्षक  
बाराँ

**राजीव कपूर**  
वन संरक्षक  
बाराँ

*अशोक सनाढ्य*  
**(अशोक सनाढ्य)**  
अधिसायी अभियन्ता  
अ.नि.वि. रुण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

नाम :- ताखा

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

अन्ता :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

बारा :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 100

कार का नाम :-

उपवन संरक्षक बाराँ वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
--------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	--	---------

68	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
----	--------	--------	--------	------	--	--


खसरे - 1	2.2500		2.2500			
----------	--------	--	--------	--	--	--

प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपरोक्त उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

कार्रवाई जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC



(अशोक सनाइय)  
अधिकाधी अभियन्ता  
बि.नि.वि. खण्ड झांझाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

नाम :- सोरसन

अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

हल्का :- सोरसन

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

वि.नि. :- सोरसन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खेत :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617

बारा :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 1

सरकार का नाम:-

वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


खेवट संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00		
1175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00		
1176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00		
1177	18.6600	गै.मु.बरडा	18.6600	0.00		
1527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00		
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00		
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00		
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00		
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00		
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00		
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00		
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00		
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00		
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00		
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00		
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00		
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00		
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00		
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00		
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00		
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00		
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00		
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00		
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00		
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00		
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00		

1525	21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00
1526	16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00
1176	16.0600	गै.मु.बरडा	16.0600	0.00
सन्ने - 34	502.8500		502.8500	

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

  
(अशोक सनाद)  
अधिसायी अनियन्ता  
प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

# जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

का नाम :- विलेण्डी

बन हल्का :- मानपुरा

बि.नि. :- खजूरनाकला

मौल :- अन्ता

बारा :- बाराँ

अंतिम चौसला आधार मम्बत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैफ्टेयर

खाता संख्या नया :- 78

खाता संख्या पुराना :- 78

कार का नाम :-

उप बन सरक्षक बारा बन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरे संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित तामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
14	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
15	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
16	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
138	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
149	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020



*(अशोक सनाढ्य)*  
अधिसापी अभियन्ता  
प.मि.वि. खण्ड भासावाट

# s for life?

special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial courts to ensure presence of the accused legislators are not executed.

Full report on [www.toi.in](http://www.toi.in)

# an now onations

For decades, the Sangat world- ble to serve there. Modi govern- n to allow FCRA (licence) to the ir Sahib deepens the connect of the Sangat globally and the Sri .A blessed moment!", he tweet-

Prime Minister Shri Narendra sed that Wahe Guru ji has taken a. The decision on FCRA at the lir Sahib is a pathbreaking

ministry release said Sachkhand lir Sahib, Sri Darbar Sahib, applied for registration under 27, 2020. On Thursday, the deci- er it as an association of "reli- under FCRA, was communi- .The registration shall remain years, after which it can be re-

# Health insurance scheme for J&K

**Srinagar:** The Jammu and Kashmir admin- istration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territo- ry who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per fami- ly to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM- JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespec- tive of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Vil- lage' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be imple- mented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य )**

**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**

**Regional Office (Central Region)**




केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,  
2324047, 2324025 Email : (Env.)m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

दिनांक : 23.08.2016

पत्र सं. डबी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254

सेवा में,  
प्रमुख सचिव ( वन ),  
मिजिल सचिवालय,  
राजस्थान शासन जयपुर।

**ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/6954/2014**

**विषय :-** जनपद बारा में आर.आर.एस.एच.पी. योजना के तहत जलवायु से क्लियरपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन बिना वृक्षों के पालन की अनुमति हेतु।

**सन्दर्भ :-** अति. प्रधान मुख् वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/ एफ.सी.ए./प्रमुख/1956, दिनांक 06.07.2016

**संदर्भ,** उपरोक्त विषय पर संबंधित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट कर, निम्न के द्वारा विधायित प्रस्ताव पर वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 की धारा ( 2 ) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपका यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केंद्र सरकार जनपद बारा में आर.आर.एस.एच.पी. योजना के तहत जलवायु से क्लियरपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पालन की सिद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य वन भूमि अर्थात् 2.96 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- ( 2.96 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे. ) कैम्पा. नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता वन विभाग के स्थामित्य को वाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ. माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो सम्यक्त क्षेत्र ( 103.4 हे. ) लिया गया है, उसके डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय को रिट पिटीशन ( सिविल ) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार को पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य ( वन.पो.बी. ) की निश्चित राशि रुपये 18.52 लाख ( 2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे. ) जमा की जायेगी।
- इसके उपरान्त पावती की क्षयाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक द्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एच.ई.एफ.टी. ( जो भी लागू हो ) की क्षयाप्रति सहित वैधानिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या ( जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्देन विवरण अर्थात् एन.पी.बी., क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो ) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
5. विधिवत् स्वीकृति को बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा संशोधन द्वारा स्वीकृत प्रयोक्ता अधिकरण के अद्य पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4 " फीट ऊंचे आर.सी.सी. पोल्सों में किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पोल पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अन्य निकटवर्ती पोलों से दूरी दर्शायी जायेगी।
6. प्रयोक्त अधिकरण द्वारा एक डिप्लोमैटल चोपला प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. प्रयोक्त अधिकरण द्वारा इस आशय का बचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करने कि आई.आर.सी. के मानकों को अनुरूप यथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जून बेंच, भोपाल द्वारा प्राचीन पत्र संख्या 27/2015 चाबूतल जानू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के अद्य पर वन विभाग की निगरानी में सड़क को दोनों तरफ तथा Median पर ( यदि उपलब्ध है तो ) वृक्षारोपण किया जायेगा।
8. प्रयोक्त अधिकरण एवं राज्य सरकार अंतर्गत तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों को परिपूर्णा एवं बिन्दुवार मुमुक्षु पूर्ण पालन आग्रह इस कार्यालय को पत्र II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक 02 फरवरी, 2016 को अनुसर प्राप्त होने पर ही वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। वाचक विभाग 02 फरवरी, 2016 को अनुसर प्राप्त होने पर ही वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार

**Mege**  
Gujarat, India  
[www.metmedical.edu.in](http://www.metmedical.edu.in)

**3 months**  
Gad Municipal Corporation Health/ T Medical College, Ahmedabad, for talk in interview of following posts are

to be downloaded from the link

2020

# Justice for life?

Special courts to fast-track trial in these pending cases, the states of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal had set up just one special court each for such cases.

The amicus said one of the reasons for delay in trial was that the accused exerted money and muscle power to influence witnesses who turned hostile and suggested that the court direct authorities to strictly implement witness protection measures. Moreover, there are many cases where non-bailable arrest warrants issued by trial judges are not executed.

Full report on www.toi.in

# in now nations

For decades, the Sangat world-leader to serve there. Modi government to allow FCRA (licence) to the Sangat deepens the connect of the Sangat globally and the Sri A blessed moment!", he tweet-

Prime Minister Shri Narendra Modi that Wahe Guru ji has taken the decision on FCRA at the Sangat Sahib is a pathbreaking

case said Sachkhand Sahib, Sri Darbar Sahib, registered for registration under FCRA, 2020. On Thursday, the decision as an association of "religious under FCRA, was communal. The registration shall remain years, after which it can be re-

# Health insurance scheme for J&K

**Srinagar:** The Jammu and Kashmir administration has launched a health insurance scheme for all residents of the Union Territory who are not covered by PM-JAY.

LT Governor Manoj Sinha said at a press conference here on Friday that the scheme will ensure a health cover of Rs 5 lakh per family to over 70 lakh people across the UT, who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (ABPM-JAY).

"In all, 70 lakh people will be covered under the new health insurance scheme, irrespective of their income," he said.

The scheme will be launched on October 2 with the commencement of the 'Back of Village' programme. The scheme will cover 15 lakh families across the UT, and will be implemented through Bajaj Allianz Insurance Company for three years with an insurance premium of Rs 849 per family per year.

The scheme will have a portability option so that the intended beneficiaries can avail of cashless service from healthcare providers across the country. At present, there are 23,300 hospitals across India where the facility can be availed, including 218 public and private hospitals already empanelled in J&K. IANS

भारत सरकार



**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य )  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024  
Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं. हवी/राज./06/04/2015/एफ.सी./254

दिनांक : 23.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव ( वन ),  
सिविल सचिवालय,  
राजस्थान प्रान्त जयपुर।

### ऑनलाईन आवेदन संख्या - FP/RJ/Road/6954/2014

**विषय :-** जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किसानपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्राथमिक बिना वृक्षों के पालन की अनुपस्थिति हेतु।

**सन्दर्भ :-** अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक- एफ14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुख/1956, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आग्रह ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 की धारा ( 2 ) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक 09 फरवरी, 2016 की ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त पूर्व आंकड़ा यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारा में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाड़ा से किसानपुरा तक सड़क निर्माण हेतु 2.96 हे. वन भूमि के प्राथमिक एवं बिना वृक्षों के पालन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रयोजित अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.96 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ( प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित रुपये 3,82,284/- ( 2.96 हे. x रुपये 1,29,150 प्रति हे. ) कैम्पा. नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। (इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ. माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र ( 103.4 हे. ) लिखा गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नॉडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जायेगा।
- प्रयोजित अधिकरण द्वारा मानवीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन ( सिविल ) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 को तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य ( एन.पी.वी. ) की निर्धारित राशि रुपये 18.52 लाख ( 2.96 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे. ) जमा की जायेगी। इसके उपरान्त पाबती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. ( जो भी लागू हो ) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आग्रह ( जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्द्तर विवरण अर्थात् एन.पी.वी., क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो ) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोजित अधिकरण के व्यव पर किया जायेगा। यह सीमांकन 4'' पॉस्ट ऊँचे आर.सी.सी. पीलरों में किया जायेगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backward and Forward bearing एवं अपर/निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जायेगी।
- प्रयोजित अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- प्रयोजित अधिकरण इस आग्रह का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. को मानकों को अनुप तथा मानवीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रारंभ पत्र संख्या 27/2015 बाबुलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोजित अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यव पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर ( यदि उपलब्ध है तो ) वृक्षारोपण किया जायेगा।
- प्रयोजित अधिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।

न बिना  
त्र  
दिनांक  
था

पर्यावरण  
मांक सं०  
सैद्धान्तिक  
हे क्रम में  
गया है  
वेभाग की  
रण किया  
गया है  
धान नही  
टेकिंग भी

पोर्ट शीघ्र

नीय  
मा. गुप्ता)  
संरक्षक  
रां

ge  
arat, India  
www.metmedical.edu.in



ct of 3 months  
bad Municipal Corporation Health/  
T Medical College, Ahmedabad, for  
k in interview of following posts are

to be downloaded from the link

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(In Rs)	2338696/-

Amount in Words - Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540640
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2338696/-

Amount in Words - Twenty-Three Lakh Thirty-Eight Thousand Six Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169540640 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Payment done by  
T.V. NO. 3750  
23/4/19

उपकायाधिकारी  
शाहाबाद (जिला-घारो)

प्रय  
54

ल  
न  
ी

# कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सभमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5814-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाटी) की गई है।  
उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14-15/18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 8528-28 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	रकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	विलेण्डी	39	13.20	बंजड़
			41	5.00	बंजड़
			42	6.52	बंजड़
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड़
			135	10.81	बंजड़
			149	3.63	बंजड़
			8 किता	62.24	गैर मुमकिन बरडा
			1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
2		सौरसन	1173	19.15	
			2 किता	38.91	गैर मुमकिन बरडा
3		ताखा	369	2.25	
			कुल योग	11 किता	103.40 हे०

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)  
जिला कलक्टर  
बारां

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 200-26  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (गुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आरक्षित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित श्रावली।

जिला कलक्टर  
बारां

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ ज.व.स./2022-23/ 520

दिनांक 22/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

साठ नि० वि० खण्ड शाहबाद।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या - 2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

2. बिन्दु संख्या - 5 के (ग) के कम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.8348 है०

c) NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d) शास्ती की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक

$$1.8348 \times 4 \times 957780 = 7029339 \text{ /-}$$

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$7029339 \times (20/100) = 1405868$$

4- कुल राशि का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	586080	485736	100344
2	NPV की राशि	2835029	1852960	982069
3	दण्डातमक राशि	1405868	0	1405868
	योग	4826977	2338696	2488281

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि  $100344 + 982069 + 1405868 = 2488281$  रू. केम्पा मद Online e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ ( ) / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति-प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

Reference No :50612268

Government Of Rajasthan  
WAM Inner/Outer sheet

Month/Year : Feb/2024

Department Code : 65 Department Name : Public Works Department

Detailed Wam bill of : Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD (Dist.BARAN)(18436)

OfficeID : 18436

Bill For Works Payment : WAM Payment

Reference No : 3902310

Wam Reference No : #1/1 of 907870

Division Name : PWD SHAHBAD

Division Code : 120

Bill No : 50612268

Date : 19/02/2024

Demand No : 44

DDOCode : 18436

TAN : JDHO01436B

Object Head : 21

Budget Head : 3054-03-337-01-01/SFN

SF : 0.00 NonPlan : 0.00

NA : 0.00

ContingencyHead :

To, The Treasury/Sub Treasury Officer, SHAHBAD  
Please Order to pay ₹ 2488281 as per the claim contained in this bill  
Sign of Clerk

*[Signature]*  
Sign of DA  
खंडाय लेखाकार

*[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड - शाहबाद

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim that is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign (With Seal) *[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड - शाहबाद

Sr.No.	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID Budget Head
1	Rajasthan Campa 7 Bengaluru 9414286802	UNION BANK OF INDIA 150856169540106 UBIN0996335 FCS BANGALORE	0 1/1/1900 12:00:00 AM	2488281.00 2488281.00	3902310

Gross Amount Rs. 2488281.00 B.T.Amount: Rs. Net Amount:Rs. 2488281.00

Amount In Words : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE Only

Sign Of DDO with Seal *[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता

For Accountant General Office  
Admitted ₹  
Objected ₹  
  
Auditor Supdt Gaz. Officer

Treasury *[Signature]*  
अधिसायी अभियन्ता  
खण्ड - शाहबाद  
आई० सी० कोड नं०-18436  
Pay No: 2488281.00  
(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY  
B.T. Heads :  
Total : 2488281.00  
(In Cash) ₹ : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY  
(In Words) : TWENTY FOUR LAKH EIGHTY EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EIGHTY ONE ONLY  
Auditor AAO-I/II Treasury/Sub Treasury Officer (S.g.n)

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

PayManager Ref. Id(s): 3902310

No. &amp; Date:

Ref No.: 1382, Dated: 19/02/2024

Division Name: Ex. En. P.W.D. Div. SHAHBAD  
(Dist. BARAN)

Division Code: 18436

## HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF&amp;A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: Deposit amount for repatriation of forest Land of various road In PWD DN Shahabad

Vendor Name: Rajasthan Campa 7

Sanction/Autorization/BillNo: 6169540106 Dated: 19/02/2024

Reason: N/a

Bank AccountNo.- 150856169540106

Bank IFSC Code: UBIN0996335-

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 24,88,281

(In Words): Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Debit Heads / Payment From:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281	WorkId: 182145

Deductions/Recoveries:

S No.	Head Code	Amount	Remarks
-------	-----------	--------	---------

This Bill will break in following part(s) for PayManager (Fisrt column will be RefNo to pull it on PayManager)

Ref No.	Head Code	Amount Cr.	Amount Dr.	Remarks
3902310	3054-03-337-01-01-21-V-P	2488281		2488281 WorkId: 182145
	Payment Through Treasury			

Net Amount Payable In Figures: 24,88,281

Net Amount Payable In Words: Rupees Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand Two Hundreds Eighty One Only

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

*Ramela*  
बडीय लेखाकार  
डा. वि. वि. घण्ट शाहाबाद

*[Signature]*  
For use in Divisional Office  
आधिकायी आभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
खण्ड - शाहाबाद  
आई० डी० फोड नं०- 18436


कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद

क्रमांक : 1140

दिनांक : 19/02/2024

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के विल प्राप्त संख्या 6169540106 दिनांक 19.02.2024 राशि रू. 2488281.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Reoatration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance के तहत भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।  
(जबवादा से किरानपुरा)




अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद -

दिनांक : 19/02/2024

क्रमांक : 1140

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहाबाद ।
2. रक्षित पत्रावली ।



अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  
of India  
Union Bank  
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217Baran
Amount(In Rs)	2488281/-

Amount in Words : Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

\* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed for Rs 2488281/- only  
[Rs Twenty Four Lakh Eighty Eight Thousand  
Two Hundred Eighty one only]

*(Signature)*

अधिसायी अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग  
आई० डी० कोड नं०-18436

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft\_ChallanCorp.aspx

BANK COPY

यूनियन बैंक  
of India  
Union Bank  
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-02-2024




Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169540106
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/04/2015/FC
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shahabad, Bus stand Pin- 325217 Baran
Amount(In Rs)	2488281/-

Amount in Words : Twenty-Four Lakh Eighty-Eight Thousand Two Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856169540106 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

\* This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No., 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/ 5847  
निमित्त:-

दिनांक 24-5-2024

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

विषय :- जलवाडा से किशनपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।  
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाड के पत्र क्रमांक  
54 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा पत्र क्रमांक 54 दिनांक 18.04.2024 को स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.96 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए रुपये 3,82,284/- (2.96 है० Rs. 1,29,150 प्रति है०) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.05 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.96 है० 164100/- रु. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 485736/- रु. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रु. 100344/- कैम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.96 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4

संख्या 3	है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- 18.52 लाख (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.96 है0 Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रु. 1852960/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रु. 982069/- एवं दण्डात्मक राशि रु. 1405868/- कुल राशि रु. 2387937/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 04.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिसपोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नहीं लिया गया है।

ख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टैकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक  
बारां  
दिनांक

क्रमांक 0 एफ ( ) / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ. नोडल अधिकारी राज 0 जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक  
बारां